संख्या-99/2016/2190/सैंतीस-2-2016-1(48)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-30 सितम्बर, 2016

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबेल की स्थापना (रा.यो.) योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-596/भवन/ट्यूबवेल-स्था.(रा.यो.), दिनांक-06.09.2016 के माध्यम से पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबवेल की स्थापना हेतु उपलब्ध कराये गये रू0-48.62 लाख के व्यय के प्रस्ताव (आगणन) को एतद्द्वारा संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रायोजना की आंकलित लागत रू0-48.62 लाख के व्यय के प्रस्ताव पर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबेल की स्थापना (रा.यो.) योजनान्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित रू0-48.62 लाख (रूपये अड़तालिस लाख बासठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

1. प्रश्नगत कार्य हेतु 'उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0' कार्यदायी संस्था होगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय आवंटित अतिरिक्त परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
3. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।
4. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में सम्मिलित है।
6. लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य की गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग का होगा।

7. प्रयोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
8. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
9. प्रश्नगत धनराशि के आहरण/व्यय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 के सुसंगत प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-16-पशु जैविक औषधि संस्थान में ट्यूबेल की स्थापना (राज्य योजना)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक-22.03.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोपरि।

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

पृ0सं0-99/2016/2190(1)/सैंतीस-2-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3
6. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in